एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति की मुख्य विशेषताएं

1. सीएसआर नीति का प्रारूप प्रासंगिक धारा के आधार पर तैयार की गई है , अर्थात कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के साथ कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति), नियम, 2014 की सांतवी अनुसूची पठित होगी, जो नीति का अभिन्न हिस्सा है |

2. नीति में अन्य बातों के साथ अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार वार्षिक सीएसआर बजट राशि का उल्लेख होता है या यह अप्रयुक्त राशि (यदि कोई है) को आगे आगामी वर्षों में ले जाने का प्रावधान भी करती है |

3. नीति में सीएसआर गतिविधियों के नियंत्रण एवं अभिशासन के बारे में, अर्थात् अधिनियम की धारा 135 के अनुसार बोर्ड की सीएसआर समिति का गठन और सीएसआर गतिविधियों की समुचित निगरानी और निष्पादन के लिए प्रबंधन स्तर पर सीएसआर समिति के गठन पर विस्तृत चर्चा है |

4. सीएसआर परियोजनाएं प्रबंधन स्तर की सीएसआर समिति द्वारा निर्धारित की जाती है और नियम 2014 के नियम 4 का अनुपालन करते हुए बोर्ड स्तरीय समिति द्वारा उनका अनिवार्य रूप से अनुमोदन किया जाना होता है |

5. निर्धारित की गई सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन कंपनी के द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या किसी कार्यान्वयन एजेंसी, जैसे कि सीएसआर नियमावली के नियम 4 की धारा 8/25 के अनुसार कोई कंपनी या सोसायटी द्वारा किया जा सकता है | कंपनी सीएसआर गतिविधियों की पहल में अपने कर्मचारियों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी |

6. पॉलिसी में प्रबंधन स्तर की सीएसआर समिति द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के चयन, चयनित एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन के निष्पादन के साथ सीएसआर परियोजना के धन संवितरण की प्रक्रिया, सीएसआर परियोजनाओं की स्थिति की निगरानी और उसकी रिपोर्टिंग आदि पर विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है |

7. नीति सुनिश्चित करती है कि अधिनियम एवं साथ ही सीएसआर नियम 2014 के अनुसार अनिवार्य रूप से रिपोर्टिंग की जाएगी |

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति

1. प्रस्तावना

'कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व' कंपनी अधिनियम 2013 (2013 की संख्या 18) (29 अगस्त 2013) की धारा 135 के अंतर्गत एक सांविधिक प्रावधान है , जो अधिनियम की अनुसूची VII के साथ पठित होगी | सांविधिक प्रावधान के उत्तरवर्ती, भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 27 फरवरी 2014 को कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014" (संक्षिप्त में "सीएसआर नियम") को अधिसूचित किया | इसके साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की एक संशोधित अनुसूची VII को भी अधिसूचित किया गया है, जो ऐसी गतिविधियों की सूची प्रदान करता है, जिन्हें सीएसआर गतिविधियों के रूप में क्रियान्वित किया जा सकता हैं | सीएसआर नियम और संशोधित सातवीं अनुसूची 1 अप्रैल, 2014 से लागू हुई हैं | प्रासंगिक धारा 135 और सीएसआर नियम इस नीति का अभिन्न हिस्सा है और इसके साथ अनुलग्नक के रूप में क्रमश: **क-1 एवं क-2** संलग्न है |

उपरोक्त अधिनियम सभी कंपनियों को एक सीएसआर नीति जारी रखने के लिए व्यादेश देती है, और सीएसआर नीति में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी सीएसआर नियमों में विनिर्दिष्ट है | एक कंपनी जो पहल व्यापक तौर पर करने का इरादा रखती है, उसका उल्लेख उक्त में करना चाहिए |

2. एआईसी और सीएसआर

एआईसी, एक सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध और जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में, यह संकल्प लेती है कि भारत के ग्रामीण, गरीब, अधिकारहीन, सुविधाहीन और वंचित समुदायों के उत्थान की दिशा में काम करेगी | एआईसी की सीएसआर गतिविधियों की पहल का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं और समुदाय की सामूहिक जीवन सुविधाओं को प्राप्त कराना है |

एआईसी में केवल कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, इससे संबंधित नियमों, सातवीं अनुसूची और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर जारी अधीनस्थ विधान के तंत्र के अंतर्गत सीएसआर गतिविधियाँ संक्षिप्त होंगी |

3. सीएसआर बजट और अधिशेष:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) में यथा विनिर्धारित, कंपनी को सीएसआर गतिविधियों पर निरंतर विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के प्रावधानों की गणना अनुसार) करना होगा | बोर्ड सीएसआर समिति की संस्तुति पर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और समय-समय पर उनमें हुए संशोधनों के अधीन बोर्ड द्वारा वार्षिक सीएसआर बजट की स्वीकृति दी जाएगी |

किसी विशेष वर्ष में सीएसआर के लिए आवंटित किसी भी अप्रयुक्त राशि को आगे ले जाया जाएगा और अगले वर्ष के बजट में शामिल किया जायेगा |

4. नियंत्रण और शासन

सीएसआर नीति एवं उसकी गतिविधियों का संचालन कार्यान्वयन एवं संवीक्षा की देखभाल के लिए दो स्तरीय संरचनात्मक व्यवस्था विद्यमान होनी चाहिए | सभी दायित्वों एवं कार्यों का विभाजन निम्न प्रकार से होगा :-

4.1 बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति

कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 135(1) के संदर्भ में, जो सीएसआर नियमों के नियम 5 के साथ पठित होगा, कंपनी तीन या अधिक निदेशकों से मिलकर बोर्ड सीएसआर समिति का गठन करेगी, जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा | समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी | उपर्युक्त अनुसार गठित बोर्ड की सीएसआर समिति में, समिति के अध्यक्ष के रूप में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पदेन और बोर्ड द्वारा नामित दो अन्य निदेशक सदस्यों के रूप में होंगे, जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक होगा |

सीएसआर समिति बोर्ड के कार्य: सीएसआर नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(3) के अनुसार बोर्ड स्तरीय समिति निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगी:

- अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट की गई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति (सीएसआर नीति) को निरूपित और बोर्ड को सिफ़ारिश करना, जो कंपनी द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों की सूचना देगी |
- सीएसआर गतिविधि पर व्यय की जाने वाली राशि की संस्तुति करना |
- समय-समय पर नीति के निष्पादन की निगरानी |
- कंपनी द्वारा सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र की स्थापना किए जाना है |
- सीएसआर नीति में उचित संशोधन करने के लिए नीति की समीक्षा करना और बोर्ड को संस्तुति करना |
- सीएसआर दृष्टिकोण से कानूनी और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना |
- कंपनी की सीएसआर परियोजनाओं/पहल पर हितधारकों के लिए रिपोर्टिंग और सूचना सुनिश्चित करना |

4.2 प्रबंधन स्तरीय सीएसआर समिति:

कंपनी की सीएसआर प्रबंधन समिति होंगी जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित तीन या अधिक सदस्य शामिल होंगे | समिति के अन्य सदस्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नामित किए जाएंगे और नामित सदस्य अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता एवं दिशा-निर्देश के अंतर्गत सीएसआर पहल के लिए समर्पित होंगे | सीएसआर से संबन्धित दैनिक कार्य के लिए उत्तरदायी सदस्य सचिव के रूप में नामांकित सदस्यों में से एक सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा , जो किसी भी संवर्ग का अधिकारी हो सकता है | जब सीएसआर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता होगी, तब समिति की बैठक की जाएगी |

प्रबंधन स्तरीय समिति के कार्य: सीएसआर नियम के अनुपालन में प्रबंधन स्तरीय समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :

- सीएसआर गतिविधियों के लिए परियोजनाओं की जांच करना और बोर्ड सीएसआर समिति को संस्तुति करना;
- प्रत्येक सीएसआर परियोजना पर आवश्यक व्यय की राशि का मूल्यांकन तैयार करना और वहीं सीएसआर समिति को प्रस्तुत करना;
- सीएसआर गतिविधियों के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन प्रणाली की जांच करना और बोर्ड स्तरीय समिति को सीएसआर की संस्तुति करना | यदि प्रबंधन स्तरीय समिति किसी बाहरी एजेंसी की नियुक्ति की सिफारिश करता है तो यह निम्नलिखित खंड 7 के प्रावधानों के साथ-साथ अनुलग्नक 'ग' के अनुपालन को भी सुनिश्चित करेगा;
- प्रत्येक सीएसआर परियोजना की लगातार निगरानी;
- बोर्ड स्तरीय समिति को प्रत्येक सीएसआर परियोजना की प्रगति की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना |

5. सीएसआर परियोजना

5.1 एक केन्द्रित और संरचनात्मक दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के लिए, कंपनी अधिनियम 2013, की अनुसूची vii में विनिर्दिष्ट अनुसार कंपनी सीएसआर व्यय केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही करेगी | प्रबंधन स्तरीय सीएसआर समिति प्रस्तावित परियोजनाओं का उचित विवरण, जिसमें कार्यान्वयन की अवधि, चयनित सेक्टर/क्षेत्रों में निष्पादन की रूपरेखा, उसके कार्यान्वयन कार्यक्रम आदि बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति के समक्ष रखेगी | बोर्ड स्तरीय समिति वर्ष के दौरान किए जाने वाले सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रम पर विचार करेगी और उन्हें मंजूरी देगी |

5.2 सीएसआर नियमों के नियम 4 के अनुपालन में परियोजना को स्वीकृति देते समय, बोर्ड स्तरीय समिति निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करेगी |

- सीएसआर परियोजना स्वरूप में अभेदमूलक है, और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान सीएसआर गतिविधि के रूप में नहीं माना जाएगा |
- परियोजनाएं सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित/सूचीबद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत होगी और नीति में उल्लिखित होगी |
- सामान्यत: परियोजनाएं व्यवसाय के अंतर्गत होने वाली गतिविधि नहीं होगी |
- परियोजनाएं भारत के भीतर लागू की जाएगी |
- परियोजनाएं विशेषत: कंपनी के कर्मचारियों या उनके परिवार के सदस्यों या व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम के अनुसरण में विशिष्ट रूप से संचालित/आरंभ किए जाने के लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए |
- कार्यान्वयन एजेंसी की आधारभूत निधि के लिए योगदान सीएसआर व्यय के रूप में जब तक योग्य होगा, जबकि :
    क. कार्यान्वयन एजेंसी इस नीति के अंतर्गत विशेष रूप से अनुज्ञप्त सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने के लिए बनाई गई है, या
    ख. जहाँ आधारभूत निधि का निर्माण विशेषत: अधिनियम की अनुसूची VII में कवरित विषय में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े लक्ष्य के लिए किया जाता है और इस नीति के अंतर्गत कवर किया जाता है |

- यहाँ आवरित सीएसआर गतिविधियाँ कंपनी द्वारा परियोजना/कार्यक्रम प्रणाली में आरंभ की जानी चाहिए, जैसा कि कंपनी के सीएसआर नियमों, 2014 के नियम 4(1) में उल्लिखित किया गया है, इसमें ऐसे मैराथन/पुरस्कार/धर्मार्थ योगदान/विज्ञापन/टी॰वी॰ कार्यक्रम का प्रायोजन आदि जैसे एकमुश्त कार्यकर्मों को शामिल नहीं किया जाएगा |
- किसी भी अधिनियम/विनियमों के क़ानूनों की पूर्ति के लिए किया गया व्यय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अनिवार्यत: सीएसआर व्यय के रूप में नहीं गिना जाएगा |
- सीएसआर नियमों के नियम 4(6) के अंतर्गत अनुमत निर्धारित सीमा के अंदर सीएसआर बजटीय व्यय के भाग के रूप में निर्धारित कर्मचारियों और/या कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के स्वयंसेवक के लिए भुगतान किए गए वेतन/भत्ते का निर्धारण सीएसआर परियोजना लागत के घटक हो सकते हैं |

6. सीएसआर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रणाली :

6.1 कंपनी स्थानीय सस्थानों और बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर सीएसआर परियोजनाओं की शुरुआत करेगी, जो **अनुलग्नक ख** में उल्लिखित विशिष्ट क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं | इस नीति के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन स्तरीय सीएसआर समिति सीएसआर परियोजनाओं/पहलों के निष्पादन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए कार्य करेगी |

6.2 विभिन्न शुरुआतों का वास्तविक कार्यान्वयन या तो प्रबंधन स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित कंपनी के कर्मचारियों/विभागों के माध्यम से व्यापक आधार पर होगा या सीएसआर नियमों के नियम 4 के अनुसार बाहरी एजेंसी जैसे न्यास, संस्थाएं, धारा 8/धारा 25 की कंपनियों (संक्षिप्त में **'कार्यान्वयन एजेंसी'**) को कार्य पर लगाने/भागीदारी के माध्यम से होगा या अन्य निगमों के साथ सहयोगी परियोजनाओं के माध्यम से होगा |

6.3 कंपनी अपनी सीएसआर शुरुआतों में कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ावा देगी और इसलिए कंपनी के सीएसआर कार्यक्रमों में स्वयंसेवा और सक्रिय भागीदारी के लिए कर्मचारियों और अन्य हितधारक सक्रिय रूप से नियुक्त होंगे |

6.4 कार्यान्वयन एजेंसी को संबन्धित क्षेत्रों में परियोजना कार्यान्वयन का कम से कम 3(तीन) वर्ष का अनुभव अनिवार्यत: होना चाहिए | कार्यान्वयन एजेंसी की विश्वसनीयता और प्रस्तावित परियोजनाओं को निष्पादित करने की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आंतरिक मानदंड का अनुपालन करना चाहिए जो नीचे **अनुलग्नक ग** में उल्लिखित है |

7. कार्यान्वयन एजेंसी के चयन के लिए प्रक्रिया

7.1 कार्यान्वयन एजेंसी का चयन निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होगा :

- कंपनी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वित होने के लिए विशेष सीएसआर परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि के लिए विनिर्देश विकसित करेगी |
- कंपनी उपयुक्त विज्ञापन जारी करके ऐसे सीएसआर परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि से संबन्धित प्रस्ताव/अवधारणा पत्रों को आमंत्रित करेगी | इसमें प्रस्तावों/अवधारणा पत्रों के लिए आमंत्रण बाहर भेजने और/या ऑनलाइन पोस्टिंग सुविधा शामिल है, इस प्रकार यह किसी के लिए भी प्रस्तावित होगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति इस तरह की परियोजना/कार्यक्रम /गतिविधि पर अपना प्रस्ताव/अवधारणा पत्र भेज सकता है |
- कंपनी अंतिम प्रस्ताव/अवधारणा पत्र स्वीकार किए जाने की एक समय सीमा तय करेगी | समय सीमा समाप्त होने पर इस नीति या अनुलग्नक सी के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने वाले प्रस्तावों को ख़ारिज़ कर दिया जाएगा और शेष को प्रबंधन स्तरीय सीएसआर समिति द्वारा प्राथमिक रूप से चुना जाएगा |
- कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/अवधारणा पत्र तथा पूर्वोक्त रूप से चुने गए प्रस्तावों की संवीक्षा की जाएगी ताकि अंतिम परियोजना दस्तावेज़ का निर्धारण किया जा सके | परियोजना के दस्तावेज़ प्रबंधन स्तरीय सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे और जिसमें विशेषत: सीएसआर गतिविधि/परियोजना का विवरण, शामिल प्रमुख कार्यों, कार्य की अवधि, राशि का बिल, प्रदेय वस्तु या उत्पाद आदि का विवरण स्पष्ट रूप से शामिल होगा |
- इस परियोजना को अंतिम रूप देने के बाद योग्य प्रस्तावकों के साथ साझा किया जाएगा ताकि वे इन परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधि पर अपनी वित्तीय बोलियाँ जमा कर सके |
- कार्यान्वयन एजेंसी का अंतिम चयन वित्तीय बोलियों में निर्दिष्ट किए गए न्यूनतम मूल्य के आधार पर होगा |

8. निधि वितरण :

सीएसआर नियमों के नियम 4 के अनुपालन में, कंपनी सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों/कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों के वितरण से संबन्धित मामलों में निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करेगी |

8.1 कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के लिए निधि का वितरण या तो सहमत किश्तों में या परियोजना की प्रकृति और आवश्यकता के आधार पर एक बार में ही भुगतान किया जाएगा | वितरण के नियम, शर्तों और समय निर्धारण पर चर्चा की जाएगी और प्रबंधन स्तरीय सीएसआर समिति के साथ सहमति व्यक्त की जाएगी तथा सामान्य तौर पर कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) का हिस्सा बना जाएगा |

8.2 निधियों का वितरण किश्तों में किए जाने पर सहमति हो तो कंपनी और कार्यान्वयन एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर पहली किश्त जारी की जाएगी | आगामी किश्तों को केवल प्रबंधन स्तरीय सीएसआर समिति की सिफ़ारिश पर जारी किया जाएगा | प्रबंधन स्तरीय सीएसआर समिति निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के बाद ही उपरोक्त सिफ़ारिश करेगी :

- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र (कंपनी द्वारा निर्धारित) का प्रस्तुतीकरण |
- सीएसआर परियोजनाओं और प्रगति के लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्यवेक्षण विशेषज्ञ की नियुक्ति द्वारा या कंपनी के नामित अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन |

8.3 जहाँ निधि का वितरण एक बार में भुगतान करने पर सहमति दी गई है, तो भुगतान केवल प्रबंधन स्तरीय सीएसआर समिति की सिफ़ारिश पर ही किया जाएगा | प्रबंधन स्तरीय सीएसआर समिति निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के बाद ही उपरोक्त सिफ़ारिशों पर विचार करेगी :

- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अनुमानित परियोजना लागत के समतुल्य बैंक गारंटी की रसीद |
- कार्य के चरण-वार क्षेत्र का प्रस्तुतीकरण और तदनुरूप अनुमानित निधि की आवश्यकता |
- कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र (कंपनी द्वारा निर्धारित) का प्रस्तुतीकरण |

- सीएसआर परियोजनाओं और प्रगति के लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्यवेक्षण विशेषज्ञ की नियुक्ति द्वारा या कंपनी के नामित अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन |

कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन :

समझौता ज्ञापन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा जो इस नीति के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करेगा | यहाँ मौजूद प्रावधानों का किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिभावी प्रभाव होगा | परिणामस्वरूप यह नीति समझौता ज्ञापन का एक अभिन्न अंग बन जाएगी, जो उसके प्रावधानों को पढ़ने और समझने के लिए स्वीकृति की पावती देंगे |

9. निगरानी :

कंपनी अधिनियम 2013 की सीएसआर नियमों के नियम 6(1) के (ख) के साथ पठित धारा 135 (3) (ग) के संदर्भ में प्रबंधन स्तरीय सीएसआर समिति कंपनी द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना सुनिश्चित करेगी |

प्रबंधन स्तरीय सीएसआर समिति अनुमोदित परियोजनाओं और उनके लिए निधियों के वितरण की निगरानी करेगी | निगरानी तंत्र में कार्यान्वित एजेंसी/विभाग द्वारा दौरों, बैठकों और प्रगति/स्थिति की रिपोर्टिंग शामिल होगी | प्रत्येक परियोजना की आवश्यकता और विशेषता के अनुसार प्रबंधन स्तरीय सीएसआर समिति कंपनी की सीएसआर गतिविधियों में शामिल सभी हितधारकों में एक पारदर्शी निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र बनाए रखने के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करेगी | सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी में शामिल होंगे :

- परियोजना स्थल के लिए आवधिक दौरे |
- परियोजनाओं की प्रगति का स्व-विश्लेषण (व्यक्तिगत और भौतिक निरीक्षण द्वारा) |
- विशेषज्ञों की नियुक्ति द्वारा तृतीय पक्ष लेखा परीक्षण |
- कार्यान्वयन एजेंसी से प्राप्त निधि उपयोग प्रमाण-पत्र |

10. रिपोर्टिंग

सीएसआर नियमों के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के संदर्भ में, सीएसआर गतिविधियाँ और प्रगति कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में और अन्य सांविधिक और विनियामक रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिवेदित की जाएगी |

सीएसआर गतिविधियों और प्रगति की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रबंधन स्तरीय सीएसआर समिति द्वारा तिमाही रिपोर्ट के रूप में बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति को दी जाएगी तथा साथ ही सीएसआर गतिविधियों और प्रगति का वार्षिक प्रतिवेदन बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति द्वारा निदेशक मण्डल को प्रतिवेदित की जाएगी | उपरोक्त रिपोर्ट इस प्रकार से की जाएगी, जो प्रभावी संचार के उद्देश्य से सुविधाजनक और उपयुक्त हो सके

अनुलग्नक क-1
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135

135. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व :

(1) ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रु. या उससे अधिक की निवल संपत्ति या एक हजार करोड़ रु. या उससे अधिक का कारोबार या 5 करोड़ रु. या अधिक के शुद्ध लाभ हो, को बोर्ड स्तरीय कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन करना होगा जिसमें तीन या अधिक निदेशक शामिल होंगे | इन निदेशकों में कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा |

(2) धारा 134 की उप-धारा (3) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन को प्रकट करना होगा |

(3) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति -

क. बोर्ड के समक्ष एक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति को निरूपित और अनुशंसित करेगी, जिसमें अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट अनुसार कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की सूचना होगी |

ख. खंड (क) में उल्लिखित गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि को अनुशंसित करेगी; तथा

ग. समय-समय पर कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति की निगरानी करेगी |

(4) प्रत्येक कंपनी के बोर्ड को खंड (1) में उल्लिखित किया जाएगा –

क. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति द्वारा की गई संस्तुति को ध्यान में रखते हुए कंपनी के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति को अनुमोदित करना और अपनी रिपोर्ट में इस नीति के विषयों को प्रकट करेगी तथा इसे कंपनी की वेबसाइट (यदि कोई हो) पर भी विनिर्धारित रूप में प्रदर्शित किया जाएगा |

ख. यह सुनश्चित करें कि कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति में शामिल गतिविधियों को कंपनी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है |

(5) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुपालन में विगत निरंतर तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करेगी |

बशर्ते यह है कि कंपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व की गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि व्यय करने के लिए स्थानीय क्षेत्र और कंपनी के कार्य क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी:

आगे बशर्ते यह है कि यदि कंपनी इस राशि को व्यय करने में असफल होती है तो बोर्ड, धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ओ) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट में राशि व्यय न करने के कारण विनिर्दिष्ट करेगा |

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए "औसत शुद्ध लाभ" की गणना धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी |

अनुलग्नक क 2

कंपनियों के (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम,2014

प्रस्तावना

केंद्रीय सरकार कंपनी अधिनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

1) इन नियमों के संक्षिप्त नाम कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 है |

2) ये नियम 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होंगे |

4. परिभाषाएं –

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

क. "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है ;

ख. "उपबंध" से इन नियमों से उपबद्ध उपबंध अभिप्रेत है ;

ग. "कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)" से निम्नलिखित अभिप्रेत और शामिल है किन्तु निम्नलिखित तक सीमित नहीं है :

I. अधिनियम की अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों से संबन्धित परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम; अथवा

II. कंपनी की घोषित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसार बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफ़ारिशों के अनुसरण में किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड(बोर्ड) द्वारा शुरू किए गए क्रियाकलापों से संबन्धित परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम बशर्ते कि ऐसी नीति में अधिनियम की अनुसूची 7 में उल्लिखित विषय सम्मिलित हों |

घ. "सीएसआर समिति" से अधिनियम की धारा 135 में निर्दिष्ट बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति अभिप्रेत है;

ङ. "सीएसआर नीति" कंपनी के कारबार के सामान्य प्रचालन के अनुसरण में किए गए कार्यकलापों को छोड़कर, अनुसूची 7 में यथानिर्दिष्ट कंपनी द्वारा किए गए कार्यकलाप और उस पर किए गए व्यय से संबन्धित है;

च. "शुद्ध लाभ" से अधिनियम के लागू उपबंधों के अनुसरण में तैयार किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार किसी कंपनी के शुद्ध लाभ अभिप्रेत है किन्तु इनमें निम्नलिखित शामिल नहीं है अर्थात् :

(i) कंपनी की विदेश स्थित किसी शाखा अथवा शाखाओं, चाहे वह अलग कंपनी के रूप में अथवा अन्यथा कार्यरत है, से प्राप्त कोई लाभ, तथा

(ii) भारत में अन्य कंपनियों जो अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत शामिल है अथवा इसके अनुबंधों का अनुपालन करती है, से प्राप्त कोई लाभांश:

परंतु किसी वित्तीय वर्ष, जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अनुसरण में सुसंगत वित्तीय विवरण तैयार किए गए थे, के संबंध में 'शुद्ध लाभ' की पुनः गणना अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित नहीं होगी |

परंतु यह और कि इन नियमों के अधीन आने वाली विदेशी कंपनी के मामले में शुद्ध लाभ से अधिनियम की धारा 198 के साथ पठित धारा 381 कि उप-धारा (1) के खंड (क) के अनुसार तैयार लाभ-हानि खाते के अनुरूप ऐसी कंपनी का शुद्ध लाभ अभिप्रेत है |

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं लिया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में दिए गए हैं |

3.कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व –

(I) प्रत्येक कंपनी अपनी होल्डिंग अथवा अनुषंगी सहित तथा अधिनियम की धारा 2 के खंड (42) के अंतर्गत परिभाषित कोई विदेशी कंपनी जिसका शाखा कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय भारत में है और जो अधिनियम की धारा 135 और इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगी ;
परंतु अधिनियम के अंतर्गत किसी विदेशी कंपनी का शुद्ध मूल्य, व्यापारावर्त अथवा शुद्ध लाभ की गणना अधिनियम की धारा 381 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 198 के उपबंधों के अनुसरण में तैयार किए गए उस कंपनी के तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण के अनुसार की जाएगी |
(II) प्रत्येक कंपनी जो क्रमवर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कंपनी नहीं रहती है, उससे निम्नलिखित अपेक्षित नहीं होगा;
(i) सीएसआर समिति का गठन करना |
(ii) उक्त धारा की उप-धारा (2) से उप-धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करना; जब तक कि वह कंपनी धारा 135 की उप-धारा (1) में निहित मानकों को पूरा नहीं करती |

4.सीएसआर गतिविधियाँ –

(1) कंपनी को अपनी कथित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के अनुसार अपने व्यवसाय के सामान्य कार्य के अनुसरण में किए गए कार्यों को छोड़कर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों (नए अथवा चल रहे) के रूप में अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलाप करने होंगे |

(2) कंपनी का बोर्ड कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति द्वारा अनुमोदित अपने सीएसआर कार्यकलाप किसी रजिस्ट्रीकृत न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसायटी अथवा अधिनियम की धारा 8 के अधीन कंपनी द्वारा स्थापित किसी कंपनी अथवा उसकी होल्डिंग या अनुषंगी या सहयोगी कंपनी के माध्यम से अथवा अन्य किसी तरीके से चला सकता है :
परंतु कि –

(i) यदि ऐसा न्यास, सोसायटी अथवा कंपनी की स्थापना उस कंपनी अथवा उसकी होल्डिंग या अनुषंगी या सहयोगी कंपनी द्वारा नहीं की गई हो तो इसके पास समान कार्यक्रम अथवा परियोजनाएं चलाने का तीन वर्षों का प्रमाणित अभिलेख होना चाहिए ;
(ii) कंपनी ने इन अस्तित्वों के माध्यम से चलाई जाने वाली परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों, ऐसी परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर धन राशि के उपयोग की कार्य-प्रणाली और निगरानी तथा रिपोर्टिंग तंत्र विनिर्दिष्ट किया हो |
(3) कोई कंपनी परियोजनाओं या कार्यक्रमों या कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों को इस प्रकार चलाने के लिए अन्य कंपनियों के साथ भी सहयोग इस रीति में कर सकती है कि संबन्धित कंपनियों की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समितियां इन नियमों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर अलग-अलग रिपोर्ट देने की स्थिति में हों |
(4) अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन, भारत में चलाई गई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम अथवा कार्यकलाप ही कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय की कोटि में आएंगे |
(5) अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, उन कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं अथवा कार्यक्रम अथवा कार्यकलापों को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलाप नहीं माना जाएगा जिनसे कंपनी के कर्मचारी अथवा उनके कुटुम्बों को ही फायदा हो |
(6) कंपनियां कम से कम तीन वित्तीय वर्षों में कार्य स्थापित अभिलेख वाली संस्थाओं के माध्यम से अपने कार्मिकों के साथ-साथ अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के कर्मचारियों की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व क्षमताएँ बना सकती है किन्तु ऐसा व्यय एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए |
(7) अधिनियम की धारा 182 के अधीन किसी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी राशि के अंशदान पर सीएसआर कार्यकलाप के रूप में विचार नहीं किया जाएगा |

5.सीएसआर समितियाँ –
1.नियम 3 में उल्लिखित कंपनियाँ निम्नानुसार सीएसआर समिति गठित करेंगी :

I. धारा 135 की उप-धारा(1) के अंतर्गत शामिल कोई असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी अथवा प्राइवेट कंपनी जिसके लिए अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (4) के अनुसरण में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करना अपेक्षित नहीं है, की ऐसे निदेशक के बिना अपनी सीएसआर समिति होगी ;

II. उप नियम (1) में उल्लिखित कोई प्राइवेट कंपनी, जिसके बोर्ड में केवल दो निदेशक हों, ऐसे दो निदेशकों के साथ अपनी सीएसआर समिति का गठन करेगी ;

III. इन नियमों के अंतर्गत शामिल किसी विदेशी कंपनी के बारे में सीएसआर समिति में कम से कम दो व्यक्ति शामिल होंगे जिनमें से एक व्यक्ति अधिनियम की धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा और दूसरा व्यक्ति विदेशी कंपनी द्वारा नामांकित होगा |

2.सीएसआर समिति कंपनी द्वारा शुरू की जाने वाली सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र संस्थित करेगी |

6.सीएसआर नीति –

1.कंपनी की सीएसआर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल होंगी, अर्थात् :-

क. अधिनियम की अनुसूची 7 के क्षेत्र के भीतर आने वाले उन कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं या कार्यक्रमों, जिन्हें कंपनी शुरू करने की योजना बनाती है, की एक सूची तैयार करना, ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की रूपरेखा निर्धारित करना तथा उनकी कार्यान्वयन अनुसूचियाँ ; तथा

ख. ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रिया :

परंतु कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलापों में कंपनी के कारबार के सामान्य कार्य के अनुसरण में किए गए कार्यकलाप शामिल नहीं होंगे |

परंतु यह और कि निदेशक बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी द्वारा अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति में शामिल कार्यकलाप अधिनियम की अनुसूची 7 में शामिल कार्यकलापों से संबद्ध है |

2.कंपनी की सीएसआर नीति विनिर्दिष्ट करेगी कि सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों से उद्भूत आधिक्य राशि कंपनी के कारबार लाभ का हिस्सा नहीं होगी |

7.सीएसआर व्यय –

कोश में बोर्ड द्वारा अपनी सीएसआर समिति की सिफ़ारिश पर अनुमोदित सीएसआर कार्यकलापों संबंधी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर अंशदान सहित समस्त व्यय सम्मिलित होगा किन्तु इसमें किसी ऐसे मद पर किया जाने वाला व्यय शामिल नहीं होगा जो अधिनयम की अनुसूची-7 के कार्यक्षेत्र में आने वाले कार्यकलापों से संगत अथवा आधार पर न हो |

8.सीएसआर रिपोर्टिंग –

(1) इन नियमों के अधीन होने वाली कंपनी की अप्रैल 1, को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष की बोर्ड रिपोर्ट में संलग्नक में निर्दिष्ट ब्यौरों को शामिल करते हुए सीएसआर संबंधी एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी |

(2) किसी विदेशी कंपनी के मामले में, धारा 381 की उपधारा 1 के उपखंड (ख) के अंतर्गत फाइल किए गए तुलन पत्र में सीएसआर संबंधी रिपोर्ट का एक संलग्नक अंतर्विष्ट होगा |

9.**सीएसआर कार्यकलापों का अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शन –**

कंपनी का निदेशक बोर्ड सीएसआर समिति की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात् कंपनी के लिए सीएसआर नीति अनुमोदित करेगा और ऐसी नीति की विषयवस्तु अपनी रिपोर्ट में प्रकट करेगा तथा उपाबंध में विनिर्दिष्ट ब्यौरों के अनुसार इसे कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो तो, पर प्रदर्शित किया जाएगा |

अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित सीएसआर गतिविधियों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र :-

1. भूख, गरीबी और कुपोषण को जड़ से खत्म करना, स्वास्थ्य निवारक देखभाल और स्वच्छता को प्रोत्साहित करना और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना |

2. विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने के लिए व्यवसाय कौशल और आजीविका संवर्धन परियोजना को बढ़ाना |

3. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और हॉस्टलों की स्थापना करना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम(ओल्ड एज होम), डे केयर सेंटर तथा अन्य सुविधाओं की स्थापना करना और सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय करना |

4. पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पति और जीव-जन्तु का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषिवानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मृदा (मिट्टी), वायु तथा जल की गुणवत्ता को बनाए रखना |

5. राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें ऐतिहासिक महत्व की इमारतों और स्थलों की पुनर्स्थापना शामिल है और कला के कार्यों सहित सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कलाओं और हस्त शिल्पों का संवर्धन और विकास |

6. सशस्त्र बलों के दिग्गजों, जंग की विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय |

7. ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालम्पिक खेल और ओलंपिक खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण देना |

8. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को राहत और कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य निधि में अंशदान |

9. केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी मशीन के लिए दिए जाने वाले योगदान या निधि उपलब्ध कराना |

10. ग्रामीण विकास परियोजनाएँ |

अनुलग्नक 'ग'
कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए अनिवार्य मानदंड

1.पंजीकरण विवरण :

- कार्यान्वयन एजेंसी कानूनी रूप से पंजीकृत संगठन होना चाहिए जिसमें शामिल हैं :
  क) 1860 की सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत एक ट्रस्ट के रूप में या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत लाइसेन्स प्राप्त कंपनी |
  ख) कंपनी को आवेदन पत्र जमा करने की तारीख को कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए |
- कार्यान्वयन एजेंसी के पास धर्मार्थ (चैरिटेबल) प्रयोजन के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत फार्म 12 एए पंजीकरण होना चाहिए |
- आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अंतर्गत पंजीकृत कार्यान्वयन एजेंसी को प्राथमिकता दी जाएगी |
- कार्यान्वयन एजेंसी के पास विदेशी अभिदय (विनियम) अधिनियम 1976(यदि विदेशी निधि का लाभ लिया गया है) के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए |
- कार्यान्वयन एजेंसी को कम से कम 3 वर्ष की लेखा-परीक्षित वित्तीय रिपोर्ट जमा करानी चाहिए |

2.अवसंरचना :

कार्यान्वयन एजेंसी की आधारिक अवसंरचना ऐसे स्थान पर होनी चाहिए, जिसमें संचालन का निश्चित स्थान शामिल हो, कर्मचारियों की संख्या, नाम, भूमिका और जिम्मेदारियों सहित परियोजना में शामिल कर्मचारियों की संरचना इत्यादि स्पष्ट रूप से परिभाषित हो | प्रस्तावित परियोजना के संदर्भ में संगठन की क्षमताओं और कर्मचारियों के अनुभव व विशेषज्ञता और संगठन द्वारा आच्छादित भौगोलिक क्षेत्र तथा संगठन द्वारा की गई अन्य परियोजनाएं शामिल हो | कार्यान्वयन एजेंसी को अन्य स्त्रोतों से प्राप्त वित्तीय सहायता को भी प्रकट करना चाहिए |

3.विश्वसनीय कड़ियाँ:

- कार्यान्वयन एजेंसी को वरीयत: प्रस्तावित कार्य-क्षेत्र में पूर्व अनुभवी होना चाहिए |
- कार्यान्वयन एजेंसी का कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित किसी भी संबन्धित विकास क्षेत्रों में पूर्व कार्य निष्पादन का रिकॉर्ड सुस्थापित होना चाहिए |
- कार्यान्वयन एजेंसी का सरकार, एआईसी या एआईसी के किसी भी हितधारक के साथ हितों का टकराव नहीं होना चाहिए |
- कार्यान्वयन एजेंसी सरकार या अन्य संबन्धित प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और समय-समय पर जारी विभिन्न विधानों एवं उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पूर्ण अनुपालन करेगी |
- कार्यान्वयन एजेंसी को कोई भी योगदान आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर-छूट के लिए वरीयता रूप से योग्य होना चाहिए |

4.मजबूत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और उचित कार्य निष्

कार्यान्वयन एजेंसी की एक अनिवार्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए जिसमें एक स्वतंत्र बैंक खाता और वार्षिक लेखा परीक्षा के आवश्यक दस्तावेज़ी प्रमाण हो | एआईसी ऐसी किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी से नहीं जुड़ेगी :-

- जिनके विरुद्ध धोखाधड़ी, धन की हेराफेरी, लाभार्थियों के शोषण आदि जैसे अपराधों के संबंध में कानूनी विवाद या पूछताछ लंबित हो |
- किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया हो |

5.अन्य कार्यान्वयन एजेंसी के साथ अच्छे कार्य संबंध और नेटवर्किंग :

कार्यान्वयन एजेंसी का अपने संचालन क्षेत्र में अन्य कार्यान्वयन एजेंसी औए सरकारी निकायों आदि के साथ अच्छे कार्य संबंध और नेटवर्किंग होना चाहिए |

*******समाप्त*******